## द्वितीय-अध्याय

## लेनदेनों की लेखा परीक्षा
## (पंचायती राज संस्थायें)

### 2.1 तेरहवें वित्त् आयोग के अनुदान का पंचायती राज संस्थाओं को जारी किया जाना एवं उसका उपयोग का लेखा परीक्षा निष्कर्ष

राज्य वित्त् आयोग की अनुशंसा पर राज्य की संचित निधि के आवर्धन के लिए पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को संसाधनों की पूर्ति हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई है। इस संबंध में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के पंचायती राज संस्थाओ हेतु (वर्ष 2010-15) की अवधि के लिये अनुदान की अनुशंसा की है। इस अनुदान के अतिरिक्त उन राज्यों के लिये सामान्य निष्पादन अनुदान वर्ष 2011-12 से उपलब्ध होगा जो उसके जारी होने के शर्तों का पालन करेगा। भारत सरकार के (सितम्बर 2010) के दिशा निर्देशों अनुसार सभी स्थानीय निकायों को दिये जाने वाला अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किश्तों मे जुलाई और जनवरी में जारी किये जायेगा। बशर्ते इसके लिये जारी शर्तों की पूर्ति कर ली गई हो।

तेरहवें वित्त् आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 2010-11 में दिये गये अनुदान **परिशिष्ट-XI** में दिया गया है।

इस संबंध में सूचना वित्त विभाग म0प्र0 शासन, आयुक्त पंचायती राज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फंदा और बैरसिया (भोपाल) द्वारा वर्ष् 2010-11 की अवधि में संग्रहित की गई। अनुदान के स्थानांतरण एवं उपयोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं-

#### 2.1.1 अनुदान विलम्ब से स्थानान्तरित करना

भारत सरकार के जारी आदेश (जुलाई-2010) के कंडिका-3 के अनुसार स्थानीय निकाय अनुदान की प्रथम किस्त भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जानी थी। भारत सरकार के द्वारा जारी आदेश (मार्च 2011) के अनुसार अनुदान की द्वितीय किस्त बैंकिग सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर 05 दिन व 10 दिन के अंदर जारी की जानी थी। निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब से नगरीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित किये जाने की स्थिति में राज्य शासन को भारतीय रिजर्व बैंक दर के समान दर से नगरीय निकायों को किस्त के साथ ब्याज का भुगतान किया जाना था। सामान्य मूल अनुदान ओर विशेष क्षेत्र मूल अनुदान, दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2010-11 की अवधि में विर्निदिष्ट समय पर जारी नहीं किया गया जिसको निम्नवत सारणी में दर्शाया गया है।

| अनुदान का नाम/किस्त की संख्या | भारत सरकार से प्राप्त राशि | | कोषालय से आहरित की गई राशि (₹करोड़ में) | स्थानीय निकाय को हस्तांतरित राशि | | स्थानीय निकाय को प्राप्त अनुदान का विलम्ब से हस्तांतरण/ स्थानीय निकाय को देय ब्याज की राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दिनांक | राशि (₹करोड़ में) | | दिनांक | राशि (₹करोड़ में) | दिन | ब्याज (₹करोड़ में) |
| सामान्य मूल अनुदान/प्रथम किस्त | 15.7.10 | 191.52 | 191.550 | 13.9.10<br>22.3.11 | 145.21<br>46.34 | 45[22]<br>235 | 1.07<br>1.79 |
| विशेष क्षेत्र मूल अनुदान/प्रथम किस्त | 15.7.10 | 11.28 | 11.284 | 13.9.10 | 11.284 | 45 | 0.08 |
| सामान्य मूल अनुदान/द्वितीय किस्त | 30.3.11 | 186.90 | 191.490 | इस संबंध में भारत सरकार को न तो प्रमाण पत्र ही भेजा गया और न ही लेखापरीक्षा को सूचना उपलब्ध करायी गयी। जिससे ब्याज की गणना नहीं किया जा सका। | | | |
| विशेष क्षेत्र मूल अनुदान/द्वितीय किस्त | 30.3.11 | 11.28 | 8.630 | | | | |
| कुल योग | | **400.98** | **402.954** | | | | **2.94** |

(स्रोत- वित्त विभाग और पी.आर.डी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर)

दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार भारत सरकार को एक प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा जिसमें अनुदान प्राप्ति के दिनांक, राशि एवं इसे पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरण का विवरण अंकित होगा। परन्तु आयुक्त् पंचायती राज ने भारत सरकार को 13वें वित्त आयोग की द्वितीय किस्त की वर्ष 2010-11 में वित्त विभाग के माध्यम से ऐसा प्रमाण पत्र नहीं प्रेषित किया। इस स्थिति में लेखा परीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अनुदान निर्धारित अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित कर दिया गया।

इंगित किये जाने पर (अगस्त 2011 और नवम्बर 2012) आयुक्त पंचायती राज संस्थाऐं ने उत्तर दिया कि विलम्ब अवधि का ब्याज राशि ₹ 2.95 करोड़ की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त होना लंबित है।

[22] विलम्ब कि अवधि 15 दिनों को छोड़कर

### 2.1.2 बैंक खातो में अनुदान का अनियमित रूप से जमा होना

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत 15 जुलाई 2010 को जारी स्वीकृति आदेश के पैरा 3 के अनुसार भारत सरकार से अनुदान प्राप्ति के 15 दिनो के अंदर स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया जाए ।

आयुक्त पंचायती राज के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य मूल अनुदान की प्रथम किस्त राशि ₹ 191.52 करोड़, वर्ष 2010-11 के लिए जुलाई 2010 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी किया गया। इस आदेश के तारतम्य में आयुक्त पंचायती राज ने राशि ₹ 191.55 करोड़ कोषालय से आहरण किया परन्तु राशि ₹ 145.21 करोड़ ई-बैंकिग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरण किया। शेष राशि ₹ 46.34 करोड़, आयुक्त पंचायती राज ने ई-पंचायत योजना के कार्यान्वयन हेतु बैंक खाते में अनियमित रूप से जमा रखा। बाद में दिनांक 22 मार्च 2011 को आयुक्त पंचायती राज ने इस राशि को ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरण करने के स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के खाते मे जमा कर दिया।

इंगित करने पर (अगस्त 2011) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल ने जबाव दिया कि सरकार के निर्देशों की प्रतीक्षा में राशि बैंक खाते में अनुपयोगी पड़ा हुआ है।

इस प्रकार, आयुक्त पंचायती राज के खाते में राशि ₹ 46.34 करोड़ 235 दिनों तक रखे जाने के परिणामस्वरूप ब्याज राशि ₹ 1.79 करोड़ अपरिहार्य देयता राज्य सरकार पर बनती है। यह राशि अभी भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के खाते में पड़ी हुई है।

### 2.1.3 भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना

दिशा-निर्देशों के पैरा 6.2 के अनुसार, तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की कोई भी किश्त पिछली किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगी।

अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2011) में पाया गया कि वर्ष 2010-11 **(परिशिष्ट - XI)** के दौरान अनुदान राशि ₹ 402.95 करोड ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया, परन्तु आयुक्त पंचायती राज द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से भारत सरकार को अनुदान के वास्तविक उपयोग प्रस्तुत नही किया गया । यह भी पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र, किसी भी नमूना जांच की गई इकाई द्वारा सूचित नहीं किया गया । नवम्वर 2012 मे इस सम्बंध में आयुक्त पंचायती राज से अद्यतन स्थिति मांगी गई लेकिन जबाब प्रतीक्षित है ।

### 2.1.4 पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन व्यवस्था में कमी।

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक श्रेणी के अनुदानों की शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु, जहां आवश्यक हो, राज्य शासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन (जुलाई 2010) वित्त विभाग द्वारा किया गया। उच्च स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य किया जाना था।

यह पाया गया कि केवल दो उच्च स्तरीय बैठक (जुलाई 2010 और दिसम्बर 2010) जनवरी 2011 तक आयोजित हुई जिससे स्पष्ट है कि अनुदान के वास्तविक उपयोग हेतु पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन व्यवस्था में कमी रही।

### 2.1.5 निष्कर्षः-

तेरहवे वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार से राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के लिए दिये जाने वाला अनुदान पंचायती राज संरचनाओं को निर्धारित अवधि में हस्तांतरित नहीं किया गया जिससे राज्य सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं को ब्याज ₹ 2.95 करोड़ का दायित्व निर्मित हुआ । सामान्य मूल अनुदान राशि ₹ 46.34 करोड़ अनियमित रूप से ग्राम पंचायतो की बजाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई । पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित अनुदान के उपयोग को सुनिश्चित नही किया गया । प्रभावी पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन व्यवस्था के अभाव में स्थानीय निकाय और उनकी गतिविधियों के अनुसार व्यय किये गये अनुदान का लेखा किसी भी स्तर तक उपलब्ध नहीं था । फलस्वरूप अनुदान के वास्तविक उपयोग भारत सरकार को प्रतिवेदित नहीं किया गया। स्थानीय निकायों को स्थानांतरित एवं उनके द्वारा उपयोग किये गये अनुदानों की यह स्थिति भारत सरकार द्वारा आगामी वर्ष (2011-12) में जारी किये जाने वाले निष्पादन अनुदान को प्रभावित कर सकती है ।

दिनांकः २८/०५/२०१३
स्थानः ग्वालियर

**(जे.आर.मीणा)**
**उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षे.ले.प. प्रथम)**
**मध्यप्रदेश**

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक २८/०५/२०१३
स्थानः- ग्वालियर

**(के.के.श्रीवास्तव)**
**प्रधान महालेखाकर**
**(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र ले.प.)**